

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 32/2022

GCMS NO-2022/63

प्रार्थी
वेद प्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य बनाम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर।

- अप्रार्थी
1. श्री नयनसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी नेतड़ों की ढाणी धारवी तहसील शिव जिला बाड़मेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स सूरज जनरल स्टोर फतेहगढ जिला जैसलमेर।
 2. श्रीमति हरप्यारी देवी पत्नी स्व. दामोदर दास जेठा उम्र 72 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी जेठा पाडा जैसलमेर। (प्रोपराइटर) अनिल एजेन्सी जेठा जैसलमेर।
 3. पावला अंकुर कुमार दिनेश कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी अम्बिका नगर चंद्रलोक सोसायटी रोड डिसा मुख्य डाकघर डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 प्रोपराइटर मैसर्स 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535
 4. मैसर्स जयवीर मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोडक्ट 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से नयनसिंह उपस्थित।

:: निर्णय ::


दिनांक: 25.05.2023

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2021 को दोपहर 12.30 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स सूरज जनरल स्टोर फतेहगढ जिला जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स सूरज जनरल स्टोर फतेहगढ जिला जैसलमेर पर विक्रेता 1.श्री नयनसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी नेतड़ों की ढाणी धारवी तहसील शिव जिला बाड़मेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर देशी घी दावत 500 एमएल के पैकेट में रखी मिली जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर


विक्रेता को दी और प्राप्त रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात् देशी घी दावत 04 पैकेट नमूने वास्ते खरीद किये, जिसके पेटे 760/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुधा देशी घी दावत को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वास्ते परीरक्षक फॉरमलीन की 40-40 बूद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1197 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलिफ एन-1197 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलिफ उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1197 देशी घी दावत लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को सुगन चन्द शर्मा वरिष्ठ सहायक के द्वारा दिनांक 30.10.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 29.10.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/20759-62 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./811/Act/2021/961 दिनांक 16.12.2021 अनुसार उक्त नमूना सवस्टेण्डर्ड पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/16216 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. नयनसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी नेतड़ों की ढाणी धारवी तहसील शिव जिला बाड़मेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स सूरज जनरल स्टोर फतेहगढ जिला जैसलमेर 2. श्रीमति हरप्यारी देवी पत्नी स्व. दामोदर दास जेठा उम्र 72 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी जेठा पाडा जैसलमेर। (प्रोपराइटर) अनिल एजेन्सी जेठा जैसलमेर 3. पावला अंकुर कुमार दिनेश कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी अम्बिका नगर चंद्रलोक सोसायटी रोड डिसा मुख्य डाकघर डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 प्रोपराइटर मैसर्स 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 4. मैसर्स जयवीर मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोडक्ट 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 ने सवस्टेण्डर्ड देशी घी दावत का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी 01 ने खाद्य पदार्थ देशी घी दावत को अप्रार्थी सं. 03 से 04 से खरीदा था उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नहीं की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादयसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./811/Act/2021/961 दिनांक 16.12.2021 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के देशी घी दावत खादय पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खादयसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. नयनसिंह पुत्र सवाईसिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी नेतड़ों की ढाणी धारवी तहसील शिव जिला बाड़मेर (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स सूरज जनरल स्टोर फतेहगढ जिला जैसलमेर 2. श्रीमति हरप्यारी देवी पत्नी स्व. दामोदर दास जेठा उम्र 72 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी जेठा पाड़ा जैसलमेर। (प्रोपराइटर) अनिल एजेन्सी जेठा जैसलमेर 3. पावला अंकुर कुमार दिनेश कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी अम्बिका नगर चंद्रलोक सोसायटी रोड डिसा मुख्य डाकघर डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 प्रोपराइटर मैसर्स 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 4. मैसर्स जयवीर मार्केटिंग एण्ड डेयरी प्रोडक्ट 195 नवा धर्मपुरा मुकाम नवा तहसील डिसा जिला बनास कान्ठा गुजरात 385535 फर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का देशी घी दावत खादय पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 04 पर 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर